

न्यायालय : प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड,
मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 1376/2011 इ.फौ.

संस्थापन दिनांक : 12.12.2011

म.प्र.राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गोहद चौहरा जिला भिण्ड
म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

1—रामबहादुर बैस पुत्र शिवप्रतापसिंह बैस उम्र 48 वर्ष
निवासी अम्बारा पश्चिम थाना रायबरेली थाना लालगंज
हरनिया कानपुर देहात थाना अकबरपुर उ.प्र.

— अभियुक्त

(आरोप अंतर्गत धारा—279, 337, 338 एवं 304ए भा0दं0सं0)

(राज्य द्वारा एडीपीओ— श्रीमती हेमलता आर्य)

(आरोपी द्वारा अधिवक्ता—श्री एन0एस0 तौमर)

निर्णय

(आज दिनांक 13-11-2017 को घोषित)

आरोपी पर दिनांक 10.10.11 को सर्वा की पुलिया के पास भिण्ड ग्वालियर रोड पर लोकमार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन टक क्रमांक एम0पी0-09-एच.जी.4210 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुए बस में टक्कर मारकर उसमें बैठे फरियादी देवीसिंह एवं आहत सुनीता, मीना, नरेन्द्र कुमार, सर्वेश, रामकुमार, हेमसिंह, राजेश, बाबूराम, भगवतप्रसाद, सुखदेवसिंह, विनीत तिवारी, प्रतिभा, वासुदेव, संगीता, उत्तम एवं प्रेमसिंह को चोट पहुंचाकर उन्हें साधारण उपहति कारित करने, उसमें बैठे आहत बाबूराम को चोट पहुंचाकर उसे अस्थिभंग कारित कर उसे गंभीर उपहति कारित करने एवं उसमें बैठे शिवकुमार एवं मोहसिन को चोट पहुंचाकर उनकी आपराधिक मानव वध की श्रेणी में न आने वाली मृत्यु कारित करते हेतु भा0दं0सं0 की धारा 279, 337, 338 एवं 304ए के अंतर्गत अपराध विवरण निर्मित किया गया है।

02. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 10.10.11 को

फरियादी देवीसिंह बस क्रमांक एम0पी0-07-एफ.1261 में बैठकर ग्वालियर से गोहद चौराहा आ रहा था। बस में और भी सवारियां बैठी थीं बस भिण्ड ग्वालियर रोड पर सर्वा से निकलकर पुलिया के पास पहुंची थी तभी बस की टक्कर मोटरसाइकिल से हो गयी थी तो बस धीमी पड़ी थी और बस के चालक ने बस को मोड़ा था तभी गोहद चौराहे की तरफ से ट्रक क्रमांक एम0पी0-09-एच.जी. 4210 का चालक ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया था और बस में टक्कर मार दी थी जिससे बस में बैठी सवारियों को चोट आई थी। उसके बांये पैर के घुटने, पिंडली एवं कमर में चोटें आई थी तथा बस में बैठी सवारी नरेन्द्र कुमार, अरविन्द, शिवकुमार शर्मा, एवं अन्य सवारियों के भी चोटें आई थीं बस में कोहराम मच गया था। फरियादी द्वारा अस्पताल गोहद में अप0क0 0/11 पर देहाती नालिसी लेखबद्ध कराई गयी थी तत्पश्चात पुलिस थाना गोहद चौराहा में अप0क0 137/11 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया था साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए थे आरोपी को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

03. उक्त अनुसार मेरे पूर्व अधिकारी द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध विवरण निर्मित किया गया था। आरोपी को अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनाई व समझायी जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।

04. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

05. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुए हैं:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक 10.10.11 को दस बजे सर्वा की पुलिया के पास भिण्ड ग्वालियर रोड पर लोकमार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन ट्रक क्रमांक एम0पी0-09-एच.जी.4210 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
2. क्या आरोपी ने घटना दिनांक समय व स्थान पर ट्रक क्रमांक एम0पी0-09-एच.जी.4210 को उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाते हुए बस में टक्कर मारकर उसमें बैठे फरियादी देवीसिंह एवं आहत सुनीता, मीना, नरेन्द्र कुमार, सर्वेश, रामकुमार, हेमसिंह, राजेश, बाबूराम, भगवतप्रसाद, सुखदेवसिंह, विनीत तिवारी, प्रतिभा, वासुदेव, संगीता, उत्तम एवं प्रेमसिंह को चोट पहुंचाकर उन्हें साधारण उपहति, आहत बाबूराम को चोट पहुंचाकर उसे अस्थिभंग कारित कर उसे गंभीर उपहति तथा उसमें बैठे शिवकुमार एवं मोहसिन को चोट पहुंचाकर उनकी आपराधिक मानव वध की श्रेणी में न आने वाली मृत्यु कारित की ?

06. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन की ओर से आहत बाबूराम शर्मा अ0सा01, संगीता अ0सा02, श्रीमती सर्वेश अ0सा03, फरियादी देवीसिंह अ0सा04, रविन्द्र श्रीवास्तव अ0सा05, वासुदेव अ0सा06, प्रतिभा अ0सा07, सुखदेवसिंह भदौरिया अ0सा08, भगवतप्रसाद साहू अ0सा09, प्रेमसिंह यादव अ0सा010, विनीत तिवारी अ0सा011, रूस्तमसिंह नरवरिया अ0सा012, पुनीत गुप्ता

अ0सा013, रामकुमार अ0सा014, अनीता अ0सा015 एवं खेमसिंह यादव अ0सा016 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 एवं 02

07. साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

08. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में फरियादी देवीसिंह अ0सा04 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग 3-4 साल पहले की है। वह बस से ग्वालियर से गोहद आ रहा था सर्वा और बूटी कुईया के बीच बस के सामने से एक मोटरसाइकिल आ रही थी बस वाले ने मोटरसाइकिलवाले को बचाया था तो मोटरसाइकिल पीछे से बस में टक्कर मारी थी। बस ने सवारी बचाने के चक्कर में ट्रक में टक्कर मार दी थी। उसे नहीं मालूम कि ट्रक का नंबर क्या था उसे घुटने में चोट आई थी। उसके बाद पुलिस उन्हें गोहद लेकर गयी थी। प्र0पी-4 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपित ट्रक क्रमांक एम0पी0-09-एच.जी.4210 के चालक ने ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाकर बस में टक्कर मार दी थी।

09. आहत बाबूराम शर्मा अ0सा01 श्रीमती संगीता अ0सा02, सर्वेश अ0सा03, वासुदेव अ0सा06, सुखदेवसिंह भदौरिया अ0सा08, प्रेमसिंह यादव अ0सा010, विनीत तिवारी अ0सा011, रुस्तमसिंह नरवरिया अ0सा012 ने भी ट्रक की बस से टक्कर होना तो बताया है परन्तु यह नहीं बताया है कि टक्कर मारने वाले ट्रक का नंबर क्या था और उसे कौन चला रहा था। उक्त सभी साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त सभी साक्षीगण ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपित ट्रक क्रमांक एम0पी0-09-एच.जी. 4210 के चालक ने ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाकर बस में टक्कर मार दी थी।

10. आहत रविन्द श्रीवास्तव अ0सा05 ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह आरोपी रामबहादुर को नहीं जानता है। उसके न्यायालयीन कथन से लगभग 4-5 साल पहले वह बस से ग्वालियर से मेहगांव जा रहा था तो सर्वा की पुलिस के पास एक ट्रक के चालक ने ट्रक को लापरवाहीपूर्वक चलाकर बस में टक्कर मार दी थी जिससे बस में बैठे हुए लोग घायल हो गये थे। ट्रक का नंबर उसे याद नहीं है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसने अपने पुलिस कथन प्र0पी-6 में ट्रक का नंबर एम0पी0-09-एच.जी.4210 लिखा था।

11. प्रतिभा अ0सा07 ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना वाले दिन वह ग्वालियर से भिण्ड आ रही थी। सफर की थकान के कारण उसे पता नहीं चला था कि क्या हुआ था जब बस भिड़ गयी थी तब उसे पता चला था। भिड़ने

से उसके दांये पैर एवं माथे में दाहिनी तरफ चोट आई थी तथा अन्य सवारियों को भी चोटें आई थी। आहत भगवतप्रसाद साहू ने भी अपने कथन में यह बताया है कि वह बस में सो गया था इसके अलावा उसे कोई जानकारी नहीं है। उसके सीधे हाथ के अंगूठे में चोट थी वह आरोपी को नहीं पहचान सकता है। उक्त दोनों ही साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त दोनों ही साक्षीगण ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि ट्रक क्रमांक एम0पी0-09-एच.जी.4210 के चालक ने ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाकर बस में टक्कर मार दी थी।

12. पुनीत गुप्ता अ0सा013 ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह आरोपी रामबहादुर को नाम एवं शक्ल से नहीं जानता है। घटना दिनांक 10.10.11 की है वह मालनपुर से बस क्रमांक एम0पी0-07-एफ.1261 से आ रहा था। वह लोग सर्वा पहुंच गये थे तभी सामने से ट्रक क्रमांक एम0पी0-09-एच.जी.4210 का चालक ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाता हुआ लाया था और उसकी बस में टक्कर मार दी थी टक्कर लगने से उसके सिर में एवं दोनों हाथों में व पसलियों में चोटें आई थी और बैठी हुई सवारियों के भी चोटें आई थी ट्रक वाले का नाम रामबहादुर था।

13. रामकुमार अ0सा014 ने भी घटना दिनांक 10.10.11 को बस में बैठकर ग्वालियर से भिण्ड जाने तथा सर्वा के आगे ट्रक क्रमांक एम0पी0-09-4210 द्वारा बस को टक्कर मार देने बाबत प्रकटीकरण किया है। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसने अपने पुलिस बयान में यह बताया था कि ट्रक को रामबहादुर चला रहा था।

14. अनीता अ0सा015 ने भी घटना दिनांक 10.10.11 को ग्वालियर से बस में बैठकर भिण्ड जाने तथा सर्वा की पुलिया पर एक ट्रक द्वारा बस में टक्कर मार देने बाबत प्रकटीकरण किया है। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि ट्रक तेजी व लापरवाही से चल रहा था। ट्रक में बैठी सवारियों ने बताया था कि ट्रक को डाइवर रामबहादुर चला रहा था। खेमसिंह यादव अ0सा016 ने भी अपने कथन में घटना दिनांक 10.10.11 को ग्वालियर से बस में बैठकर इटावा जाना तथा रास्ते में बस की ट्रक से टक्कर हो जाना बताया है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपित ट्रक के चालक ने ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाकर बस में टक्कर मार दी थी।

15. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

16. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी देवीसिंह अ0सा04 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना वाले दिन वह बस से ग्वालियर से गोहद आ रहा था तो सर्वा एवं बूटी कुईया के मध्य बसवाले ने एक मोटरसाइकिल वाले को बचाया था तो मोटरसाइकिल पीछे से बस में टकरा गयी थी एवं बस ने सवारी बचाने के चक्कर में ट्रक में टक्कर मार दी उसे ट्रक का नंबर नहीं पता। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर उक्त

साक्षी ने इस तथ्य से इंकार किया है कि आरोपित ट्रक क्रमांक एम0पी0-09-4210 के चालक ने ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाकर बस में टक्कर मार दी थी। इस प्रकार फरियादी देवीसिंह अ0सा04 ने अपने कथन में बस द्वारा ट्रक को टक्कर मारना बताया है। यद्यपि प्र0पी-4 की देहाती नालिसी जो कि फरियादी देवीसिंह अ0सा04 द्वारा लेखबद्ध कराई गयी है, में आरोपित ट्रक के चालक द्वारा ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए बस में टक्कर मार देने का उल्लेख है परन्तु यह बात फरियादी देवीसिंह अ0सा04 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में नहीं बतायी गयी है। फरियादी देवीसिंह अ0सा04 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह बताया है कि बस ने सवारी बचाने के चक्कर में ट्रक में टक्कर मार दी थी तथा इस तथ्य से इंकार किया है कि ट्रक क्रमांक एम0पी0-09-4210 के चालक ने ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाकर बस में टक्कर मार दी थी। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर स्वयं फरियादी देवीसिंह अ0सा04 के कथन प्र0पी-4 की देहाती नालिसी से विरोधाभासी रहे हैं। फरियादी देवीसिंह अ0सा04 द्वारा आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है एवं ना ही ट्रक द्वारा एक्सीडेंट कारित करना बताया गया है। अतः उक्त साक्षी के कथनों से अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

17. आहत बाबूराम शर्मा अ0सा01 ने भी यह व्यक्त किया है कि घटना वाले दिन सर्वा पुलिया के पास वह बस से जा रहा था सामने से एक ट्रक आ रहा था मोटरसाइकिलवाले ने सामने से मोटरसाइकिल निकाली थी। ट्रक से मोटरसाइकिल वाले को टक्कर लगी थी तो मोटरसाइकिलवाला खत्म हो गया था इसके बाद उसकी बस ट्रक से टकरा गयी थी। बस वाला बस को ठीक चला रहा था। मोटरसाइकिल वाला एकदम से आगे आ गया था इस कारण एक्सीडेंट हो गया था। उक्त साक्षी को भी अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर उक्त साक्षी ने भी इस तथ्य से इंकार किया है कि ट्रकवाला ट्रक को तेजी व लापरवाही से चला रहा था। इस प्रकार आहत बाबूराम शर्मा अ0सा01 द्वारा भी यह नहीं बताया गया है कि आरोपित ट्रक की लापरवाही से दुर्घटना कारित हुई थी। उक्त साक्षी द्वारा भी आरोपित ट्रक एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। अतः उक्त साक्षी के कथनों से भी अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

18. आहत संगीता अ0सा02 ने भी अपने कथन में घटना वाले दिन मेहगांव से बस में बैठकर जाना तथा ट्रक एवं बस की टक्कर हो जाना तो बताया है परन्तु उक्त साक्षी द्वारा यह नहीं बताया गया है कि दुर्घटना कारित करने वाले ट्रक का नंबर क्या था एवं उसे कौन चला रहा था। आहत सर्वेश अ0सा03 ने भी अपने कथन में घटना वाले दिन बस में बैठना एवं डम्फर से एक्सीडेंट हो जाना बताया है तथा यह भी व्यक्त किया है कि उसे ट्रक का नंबर नहीं मालूम है। उक्त दोनों ही साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर भी उक्त दोनों ही साक्षीगण ने इस तथ्य से इंकार किया है कि आरोपित ट्रक क्रमांक एम0पी0-09-4210 के चालक ने ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाकर बस में टक्कर मार दी थी। इस प्रकार उक्त साक्षीगण द्वारा भी आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। अतः उक्त साक्षीगण के कथनों से अभियोजन को कोई सहायत प्राप्त नहीं होती है।

19. आहत रविन्द्र श्रीवास्तव अ0सा05 ने भी अपने कथन में ट्रक चालक द्वारा

ट्रक को लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाना एवं बस में टक्कर मार देना बताया है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने पुलिस कथन प्र0पी-6 में ट्रक का नंबर एम0पी0-09-4210 लिखाया था। इस प्रकार रविन्द्र श्रीवास्तव अ0सा05 ने अपने कथन में ट्रक द्वारा बस को टक्कर मार देना तो बताया है परन्तु यह नहीं बताया है कि दुर्घटना के समय आरोपित ट्रक को कौन चला रहा था। उक्त साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि वह आरोपी रामबहादुर को नहीं जानता है। उक्त साक्षी द्वारा आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है।

20. आहत वासुदेव अ0सा06 ने अपने कथन में यह बताया है कि घटना वाले दिन वह बस से ग्वालियर से गोहद आ रहा था तो सर्वा एवं बूटी कुईया के मध्य उसकी बस मोटरसाइकिल से टकरा गयी थी इसके बाद बस का बैलेन्स बिगड़ गया था और वह पास खड़े ट्रक से टकरा गयी थी। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर उक्त साक्षी ने इस तथ्य से इंकार किया है कि दुर्घटना कारित करने वाले ट्रक को आरोपी रामबहादुर चला रहा था तथा इस तथ्य से भी इंकार किया है कि रामबहादुर ने आरोपित ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए बस में टक्कर मार दी थी। इस प्रकार आहत वासुदेव अ0सा06 ने भी वाहन दुर्घटना होना तो बताया है परन्तु यह नहीं बताया है कि दुर्घटना कारित करने वाले ट्रक का नंबर क्या था एवं उसे कौन चला रहा था। उक्त साक्षी द्वारा भी आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है।

21. आहत प्रतिभा अ0सा07 ने भी घटना वाले दिन बस में जाना एवं बस भिड़ जाना बताया है परन्तु उक्त साक्षी द्वारा भी यह नहीं बताया गया है कि बस की किससे टक्कर हुई थी। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर भी उक्त साक्षी द्वारा आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। अतः उक्त साक्षी के कथनों से भी अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

22. आहत सुखदेवसिंह भदौरिया अ0सा08 ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना वाले दिन सर्वा के पास बस मोटरसाइकिल से टकरा गयी थी। इसके बाद ट्रक ने उसकी बस में टक्कर मार दी थी जिससे उसे एवं बस में बैठी अन्य सवारियों को चोटें आई थीं। बस ड्राइवर बस को तेजी से चला रहा था। ट्रक का नंबर क्रमांक एम0पी0-09-4210 था। उक्त साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि वह आरोपी रामबहादुर को नाम एवं शक्ल से नहीं जानता है। उक्त साक्षी को भी अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर उक्त साक्षी ने इस तथ्य से इंकार किया है कि आरोपित ट्रक को रामबहादुर चला रहा था एवं इस तथ्य से भी इंकार किया है कि आरोपित ट्रक के चालक ने ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाकर उसकी बस में टक्कर मार दी थी। इस प्रकार सुखदेवसिंह भदौरिया अ0सा08 ने भी एक्सीडेंट होना तो बताया है परन्तु यह नहीं बताया है कि दुर्घटना ट्रक की गलती से हुई थी एवं यह भी नहीं बताया है कि आरोपित ट्रक को कौन चला रहा था। उक्त साक्षी द्वारा आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है।

23. आहत भागवतप्रसाद साहू अ0सा09 द्वारा व्यक्त किया गया है कि वह बस

में सो गया था उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। वह आरोपी को नाम व शक्ल से नहीं जानता है। प्रेमसिंह यादव अ0सा010 ने भी अपने कथन में ट्रक और बस का एक्सीडेंट होना बताया है। उक्त साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि एक्सीडेंट किसकी गलती से हुआ था वह नहीं बता सकता। जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था उसका नंबर क्या था उसे कौन चला रहा था वह यह भी नहीं बता सकता। आहत विनीत तिवारी अ0सा011 ने भी अपने कथन में बस का ट्रक से एक्सीडेंट होना तो बताया है परन्तु यह नहीं बताया है कि ट्रक का नंबर क्या था एवं उसे कौन चला रहा था। आहत रुस्तमसिंह नरवरिया अ0सा012 ने भी अपने कथन में ट्रक एवं बस की टक्कर होना तो बताया है परन्तु यह नहीं बताया है कि दुर्घटना कारित करने वाले ट्रक का नंबर क्या था और उसे कौन चला रहा था। उक्त सभी साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर भी उक्त सभी साक्षीगण ने इस तथ्य से इंकार किया है कि आरोपित ट्रक क्रमांक एम0पी0-09-4210 के चालक रामबहादुर ने आरोपित ट्रक तेजी व लापरवाही से चलाते हुए बस में टक्कर मार दी थी। इस प्रकार उक्त सभी साक्षीगण द्वारा आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। अतः उक्त साक्षीगण के कथनों से भी आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

24. आहत पुनीत गुप्ता अ0सा013 ने अपने कथन में ट्रक क्रमांक एम0पी0-09-4210 द्वारा उसकी बस में टक्कर मार देना तथा टक्कर लगने से उसके सिर, हाथ व पसलियों में चोट आना बताया है एवं प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि वह ट्रक चालक को नहीं पहचान सकता है। उसने ट्रक चालक का नाम सुना था लेकिन देखा नहीं था वह यह भी नहीं बता सकता कि उसे ट्रक चालक का नाम किस व्यक्ति ने बताया था। इस प्रकार पुनीत गुप्ता अ0सा013 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि उसने मौके पर ट्रक चालक को नहीं देखा था केवल उसने ट्रक चालक का नाम सुना था। पुनीत गुप्ता अ0सा013 के कथनों से यह दर्शित है कि उसने आरोपी को दुर्घटना कारित करते हुए नहीं देखा था। उक्त साक्षी द्वारा आरोपी रामबहादुर की पहचान भी नहीं की गयी है। अतः उक्त साक्षी के कथनों से भी आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

25. साक्षी रामकुमार अ0सा014 ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना वाले दिन वह बस में बैठकर ग्वालियर से भिण्ड जा रहा था तो सर्वा के आगे ट्रक क्रमांक एम0पी0-09-4210 के चालक ने ट्रक को तेजी से चलाते हुए बस में टक्कर मार दी थी जिससे उसके एवं अन्य सवारियों के चोटें आई थीं। उसने अपने बयान में यह बताया था कि ट्रक को रामबहादुर चला रहा था। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 2 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि उसे ट्रक ड्राइवर का नाम बाद में पता चला था एवं यह भी स्वीकार किया है कि उसने आरोपी रामबहादुरसिंह को एक्सीडेंट करते हुए नहीं देखा था एवं ना ही वह उसे पहचानता है। इस प्रकार रामकुमार अ0सा014 ने यद्यपि अपने मुख्यपरीक्षण में यह बताया है कि उसने अपने पुलिस कथन में आरोपी का नाम बताया था परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि उसने आरोपी को एक्सीडेंट करते हुए नहीं देखा था एवं वह आरोपी को नहीं पहचानता है। उक्त साक्षी के कथनों से यही प्रकट होता है कि उक्त साक्षी ने आरोपी रामबहादुर को मौके पर नहीं देखा था। अतः उक्त साक्षी के कथनों से भी यह

प्रमाणित नहीं होता है कि घटना के वक्त आरोपित ट्रक को आरोपी रामबहादुर चला रहा था।

26. आहत अनीता अ0सा015 ने भी अपने कथन में घटना वाले दिन बस में बैठकर भिण्ड जाना तथा सर्वा की पुलिया पर ट्रक द्वारा बस में टक्कर मार देना बताया है एवं यह भी बताया है कि ट्रक में बैठी सवारियों ने बताया था कि ट्रक ड्राइवर रामबहादुर चला रहा था। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 2 में उक्त साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने ट्रक चालक रामबहादुर को नहीं देखा है और ना ही वह उसे पहचान सकती है। उसे अन्य सवारियों ने बाद में ट्रक ड्राइवर का नाम बताया था। इस प्रकार आहत अनीता अ0सा015 के कथन से भी यह दर्शित है कि उसने स्वयं आरोपी रामबहादुर को मौके पर नहीं देखा था। उसके द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि उसे आरोपी का नाम किस व्यक्ति द्वारा बताया गया था। उक्त साक्षी द्वारा आरोपी की पहचान भी नहीं की गयी है। अतः उक्त साक्षी के कथनों से भी आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित नहीं होता है। साक्षी खेमसिंह यादव अ0सा016 ने भी अपने कथन में एक्सीडेंट होना तो बताया है परन्तु यह नहीं बताया है कि दुर्घटना कारित करने वाले ट्रक का नंबर क्या था एवं उसे कौन चला रहा था। उक्त साक्षी को भी अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर भी उक्त साक्षी द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है तथा आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। अतः उक्त साक्षी के कथन से भी अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

27. इस प्रकार समग्र अवलोकन से यह दर्शित है कि प्रकरण में फरियादी देवीसिंह अ0सा04, आहत बाबूराम शर्मा अ0सा01, संगीता अ0सा02, सर्वेश अ0सा03, रविन्द्र श्रीवास्तव अ0सा05, वासुदेव अ0सा06, प्रतिभा अ0सा07, सुखदेवसिंह भदौरिया अ0सा08, भागवतप्रसाद साहू अ0सा09, प्रेमसिंह यादव अ0सा010, विनीत तिवारी अ0सा011, रूस्तमसिंह नरवरिया अ0सा012, पुनीत गुप्ता अ0सा013 एवं खेमसिंह यादव अ0सा016 द्वारा एक्सीडेंट होना तो बताया गया है परन्तु यह नहीं बताया गया है कि दुर्घटना कारित करने वाले ट्रक को कौन चला रहा था उक्त सभी साक्षीगण द्वारा आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। आहत रामकुमार अ0सा014 एवं अनीता अ0सा015 के कथन भी परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। उक्त साक्षीगण ने भी आरोपी की पहचान नहीं की है एवं आरोपी को मौके पर दुर्घटना कारित करते हुए नहीं देखा था। उक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे संदेह से परे यह प्रमाणित होता हो कि घटना दिनांक को आरोपित ट्रक को आरोपी रामबहादुर चला रहा था एवं आरोपी रामबहादुर ने आरोपित ट्रक क्रमांक एम0पी0-09-4210 को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए बस में टक्कर मारकर वाहन दुर्घटना कारित की थी। ऐसी स्थिति में अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है एवं आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

28. यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपी के विरुद्ध अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करे। यदि अभियोजन आरोपी के विरुद्ध मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है तो संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित है।

29. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 10.10.11 को सर्वा की पुलिया के पास भिण्ड ग्वालियर रोड पर लोकमार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन ट्रक क्रमांक एम0पी0-09-एच.जी.4210 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुए बस में टक्कर मारकर उसमें बैठे फरियादी देवीसिंह एवं आहत सुनीता, मीना, नरेन्द्र कुमार, सर्वेश, रामकुमार, हेमसिंह, राजेश, बाबूराम, भगवतप्रसाद, सुखदेवसिंह, विनीत तिवारी, प्रतिभा, वासुदेव, संगीता, उत्तम एवं प्रेमसिंह को चोट पहुंचाकर उन्हें साधारण उपहति कारित की एवं उसमें बैठे आहत बाबूराम को चोट पहुंचाकर उसे अस्थिभंग कारित कर उसे गंभीर उपहति कारित की तथा उसमें बैठे शिवकुमार एवं मोहसिन को चोट पहुंचाकर उनकी आपराधिक मानव वध की श्रेणी में न आने वाली मृत्यु कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपी रामबहादुर बैस को संदेह का लाभ देते हुए उसे भा0द0स0 की धारा 279, 337, 338 एवं 304ए के आरोप से दोषमुक्त करती है।

30. आरोपी पूर्व से जमानत पर है अतः उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किए जाते हैं।

31. प्रकरण में जप्तशुदा ट्रक क्रमांक एम0पी0-09-एच.जी.4210 पूर्व से उसके पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी पर है। अतः उसके संबंध में सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात निरस्त समझा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

स्थान-गोहद

दिनांक-13.11.17

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर,
खुले न्यायालय में घोषित किया गया
सही/-

(प्रतिष्ठा अवस्थी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया
सही/-

(प्रतिष्ठा अवस्थी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु सामान्य)